

प्रारंभिक परीक्षा

रण संवाद-2025

संदर्भ

भारत नए संयुक्त सिद्धांतों को शुरू करने और सैन्य एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला त्रि-सेवा सेमिनार रण संवाद-2025 आयोजित कर रहा है।

रण संवाद-2025

- यह क्या है: युद्ध, युद्धकला और युद्ध संचालन पर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित एक अनूठा दो दिवसीय त्रि-सेवा सेमिनार।
- कब और कहाँ: 26 अगस्त 2025 से मध्य प्रदेश के डॉ. अंबेडकर नगर स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में आयोजित।
- आरंभिक एवं समापन संबोधन:
 - उद्घाटन: पहले दिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा संबोधन।
 - समापन: रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा समापन सत्र का मुख्य संबोधन।
- मुख्य लॉन्च: सेमिनार में नए संयुक्त सिद्धांत और एक प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण एवं क्षमता रोडमैप जारी किए जाएंगे।
- अद्वितीय प्रारूप: प्रत्येक विषयगत सत्र का नेतृत्व सेवारत अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जो आधुनिक युद्धक्षेत्र के अनुभवों पर आधारित प्रत्यक्ष परिचालन अंतर्दृष्टि और विचार साझा करेंगे।
- उद्देश्य और दृष्टिकोण: एक गतिशील, अभ्यास-उन्मुख मंच (केवल सैद्धांतिक नहीं) के रूप में डिजाइन किया गया, इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर, अनुभव-संचालित अंतर्दृष्टि के माध्यम से सैन्य समुदायों के बीच बातचीत, संचार और सहयोग को बढ़ाना है।
- प्रतिभागी: इस कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ-साथ प्रसिद्ध रक्षा विशेषज्ञ, रक्षा उद्योग के नेता और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पेशेवर शामिल होंगे।
- मुख्य विषय: चर्चा के विषयों में सूचना युद्ध, ग्रे ज़ोन खतरे, एकीकृत संचालन और भविष्य की लड़ाकू प्रौद्योगिकियां शामिल होंगी।
- भविष्य का दृष्टिकोण: इस वर्ष भारतीय सेना द्वारा आयोजित रण संवाद-2025 का उद्देश्य सेनाओं के बीच बारी-बारी से आयोजन करना है, तथा भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना द्वारा भविष्य में इसके आयोजन की उम्मीद है।
- सामरिक महत्व: इस सेमिनार का उद्देश्य वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने, भारतीय सुरक्षा प्राथमिकताओं को सुदृढ़ करने तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संदर्भों को समाहित करने वाले विश्वसनीय सैन्य संवाद की पेशकश के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में विकसित होना है।

स्रोत: [पीआईबी](#)

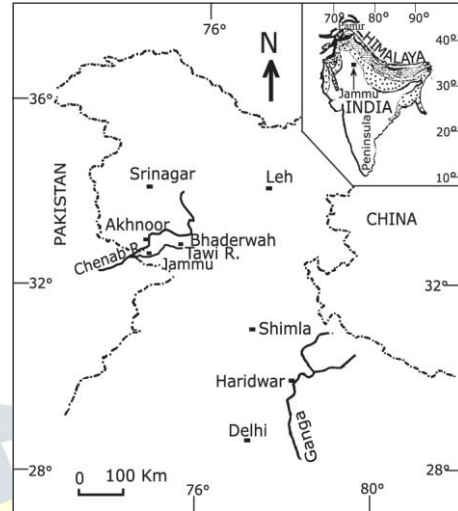
तवी नदी

संदर्भ

भारत ने मानवीय आधार पर पाकिस्तान को तवी नदी में संभावित भीषण बाढ़ के बारे में सतर्क किया है, जबकि सिंधु जल संधि (IWT) अभी भी निलंबित है।

तवी नदी के बारे में -

- **सहायक नदी और महत्व:**
 - चिनाब नदी की प्रमुख बायीं तटवर्ती सहायक नदी।
 - इसका पवित्र महत्व है, प्राचीन ग्रंथों में इसे अक्सर "सूर्य पुत्री" के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- **उद्गम और प्रवाह मार्ग:**
 - जम्मू-कश्मीर के डोडा ज़िले के भद्रवाह क्षेत्र में सिओ धार स्थित कल्पस कुंड से उद्गम।
 - लगभग **141** किमी का मार्ग तय करते हुए सुध महादेव से होकर बहती है।
 - खड़ी पहाड़ियों और मैदानी क्षेत्रों को पार करने के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रवेश कर चिनाब नदी से मिलती है।
- **जलग्रह - क्षेत्र:**
 - भारतीय सीमा (जम्मू) तक कुल जलग्रहण क्षेत्र 2,168 वर्ग किमी है।
 - यह जम्मू, उधमपुर और डोडा जिले के एक छोटे से हिस्से में फैला हुआ है।
- **सहायक नदियाँ:**
 - भूतेश्वरी (बिरमा), दुद्धार और जज्झर सहित कई धाराएँ इसमें शामिल होती हैं।
- **भौगोलिक एवं शहरी भूमिका:**
 - जम्मू शहर को दो भागों में विभाजित करती है:
 - पुराना जम्मू नगर, जो नदी के ऊपर पहाड़ी पर स्थित है।
 - नया जम्मू नगर, जो नदी के दूसरी ओर बसा है।
 - यह जम्मू शहर के लिए प्राथमिक जल स्रोत के रूप में कार्य करता है।



स्रोत: [इंडियनएक्सप्रेस](https://www.indianexpress.com)

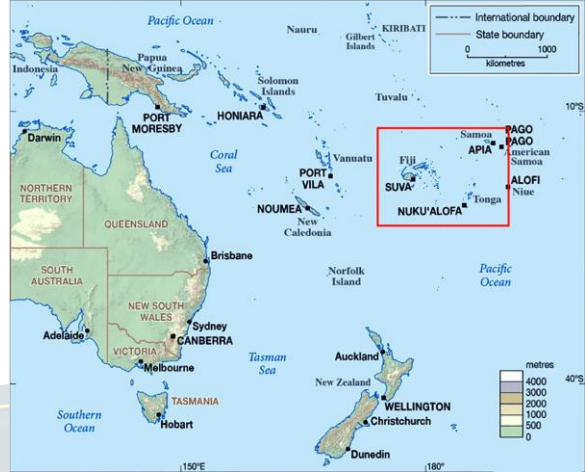
फिजी(Fiji)

संदर्भ

भारत और फिजी ने फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका की आधिकारिक यात्रा के दौरान रक्षा संबंधों और सहयोग को गहरा करने पर सहमति व्यक्त की, तथा एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन किया।

फिजी के बारे में -

- **अवस्थिति:** दक्षिण प्रशांत महासागर में एक द्वीप देश, मेलानेशिया का हिस्सा।
- **राजधानी:** सुवा, विटी लेवु द्वीप पर स्थित है।
- **प्रमुख द्वीप:** इसमें 300 से अधिक द्वीप शामिल हैं, जिनमें से लगभग 100 पर लोग रहते हैं; दो सबसे बड़े द्वीप विटी लेवु और वनुआ लेवु हैं।
- **जनसंख्या:** लगभग 9.2 लाख (920,000) लोग (लगभग)।
- **जातीय संरचना:** बहु-जातीय समाज - मुख्य रूप से **इताउकेई** (स्वदेशी फिजी) और **इंडो-फिजियन** (भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के वंशज)।
- **भाषा:** अंग्रेजी (आधिकारिक), साथ ही **फिजी** और **फिजी हिंदी** भी व्यापक रूप से बोली जाती है।
- **धर्म:** मुख्यतः ईसाई धर्म, उसके बाद हिंदू धर्म और इस्लाम।
- **सरकार:** संसदीय लोकतंत्र; वर्तमान प्रधानमंत्री (2025) सीटिवेनी राबुका हैं।
- **अर्थव्यवस्था:**
 - **प्रमुख क्षेत्र:** पर्यटन, चीनी, सोने का खनन, मत्स्य पालन, परिधान उद्योग।
 - पर्यटन सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जक है।
- **सामरिक महत्व:**
 - हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थित, इसे अक्सर दक्षिण प्रशांत में एक केंद्र के रूप में देखा जाता है।
 - प्रशांत द्वीप समूह फोरम (PIF), राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय समूहों के सदस्य।
- **भारत-फिजी संबंध:**
 - विशाल भारतीय प्रवासी (फिजी की जनसंख्या का 35% से अधिक) के कारण मज़बूत ऐतिहासिक संबंध।
 - भारत, क्षमता निर्माण, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और प्रवासी संबंधों के क्षेत्रों में फिजी के साथ सहयोग करता है।



स्रोत: [द हिंदू](#)

सलवा जुद्धम निर्णय

संदर्भ

पूर्व न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकीलों ने केंद्रीय गृहमंत्री की इस टिप्पणी की आलोचना की कि न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी के 2011 के सलवा जुद्धम फैसले के कारण 2020 तक नक्सलवाद समाप्त नहीं हो सका।

सलवा जुद्धम मामला (2011) -

पृष्ठभूमि

- 2000 के दशक में छत्तीसगढ़ माओवादी हिंसा का केंद्र बन गया।
- इसका मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार ने 2005 में सलवा जुद्धम ("गोंडी में शांति मार्च") को राज्य समर्थित सतर्कतावादी (vigilante) आंदोलन के रूप में शुरू किया।
- आदिवासी युवाओं (कुछ मात्र 18 वर्ष के) को विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) के रूप में भर्ती किया गया।
- इन्हें हथियार, अल्प मानदेय दिया गया और सुरक्षा बलों के साथ मार्गदर्शक, खुफिया सूत्र और लड़ाके के रूप में तैनात किया गया।

याचिका (2007) -

- नंदिनी सुंदर (समाजशास्त्री), रामचंद्र गुहा (इतिहासकार) और अन्य द्वारा दायर।
- चुनौती के आधार:
 - अनुच्छेद-14(कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद-21(जीवन और गरिमा का अधिकार) का उल्लंघन।
 - मानवाधिकार हनन – जबरन विस्थापन, आदिवासियों पर अत्याचार।
 - नागरिक-युद्धक सीमा का धुंधलापन, जिससे हिंसा बढ़ी।
 - अपर्याप्त प्रशिक्षण/सुरक्षा के बिना आदिवासी युवाओं का शोषण।

राज्य और संघ का पक्ष -

- दावा किया गया कि SPO की भर्ती स्वैच्छिक थी, जो प्रायः माओवादी हिंसा के पीड़ितों से की जाती थी।
- युवाओं को स्थानीय ज्ञान था, जिससे वे उग्रवाद-विरोधी कार्य में प्रभावी रहे।
- इस योजना से दूरदराज के क्षेत्रों में आजीविका उपलब्ध हुई।
- SPO ने शिविरों की सुरक्षा और माओवादी हमलों का विरोध करने में मदद की।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (2011) -

- निर्णय न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा दिया गया।
- मुख्य निष्कर्ष:
 - अपर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त आदिवासी युवाओं को हथियारबंद संघर्ष में झोंकना भेदभावपूर्ण (अनुच्छेद 14 का उल्लंघन)।
 - उन्हें गंभीर जोखिम में डालना, बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन।
 - नागरिकों को हथियार देना युद्धक और गैर-युद्धक के बीच की रेखा मिटाता है, जिससे हिंसा और बढ़ती है।

न्यायालय के निर्देश -

- सलवा जुद्धम को तत्काल भंग किया जाए।
- SPO को आतंकवाद विरोधी भूमिका से प्रतिबंधित किया गया।
- केवल उचित रूप से प्रशिक्षित पुलिस और अर्धसैनिक बलों को ही माओवादी विरोधी अभियान चलाना चाहिए।

स्रोत: [इंडियनएक्सप्रेस](#)

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025

संदर्भ

नया ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 पारित किया गया है ताकि ई-स्पोर्ट्स, सोशल गेमिंग और रियल मनी गेम्स (RMGs) को विनियमित किया जा सके, भ्रामक विज्ञापनों व अनधिकृत सट्टेबाजी को प्रतिबंधित किया जा सके।

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 -

पृष्ठभूमि

- 20 अगस्त, 2025 को लोकसभा द्वारा और 21 अगस्त, 2025 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया।
- राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लागू हुआ।
- इसका उद्देश्य तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विनियमित करना तथा लत, वित्तीय हानि और दुरुपयोग के मुद्दों का समाधान करना है।

प्रमुख विशेषताएँ

- ऑनलाइन गेम की तीन श्रेणियाँ:
 1. ई-स्पोर्ट्स
 2. सोशल गेमिंग
 3. रियल मनी गेम्स (RMGs)
- भ्रामक विज्ञापनों और सट्टेबाजी/जुआ खेलों के प्रचार पर प्रतिबंध।
- ऑनलाइन गेम की परिभाषा: कोई भी गेम जो डिजिटल रूप से खेला जाता है, जिसमें कौशल, मौका या दोनों शामिल होते हैं, विशेष रूप से जब वह जीतने वाले पैसे या परिवर्तनीय परिसंपत्तियों से जुड़ा हो।

वास्तविक धन वाले खेलों या रियल मनी गेम्स (RMGs) के लिए प्रावधान -

- बिना अनुमति के ऑनलाइन पैसे वाले गेम की पेशकश करना या उन्हें सुविधाजनक बनाना अपराध है।
- दंड: 3 वर्ष तक का कारावास या ₹1 करोड़ तक का जुर्माना, या दोनों।
- ऑपरेटरों को राष्ट्रीय खेल संवर्धन और ऑनलाइन गेमिंग आयोग के साथ पंजीकरण करना होगा।

ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग -

- ई-स्पोर्ट्स को राष्ट्रीय खेल समिति अधिनियम, 2025 द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों के रूप में परिभाषित किया गया है।
- सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म को नियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना चाहिए और इसमें दांव लगाना या सट्टेबाजी शामिल नहीं हो सकती।

विनियमन और निरीक्षण -

- केंद्र सरकार को गेमिंग प्लेटफॉर्म को अधिसूचित और विनियमित करने का अधिकार दिया गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है।
- सरकार गैर-अनुपालन प्लेटफॉर्म को निलंबित, ब्लॉक या प्रतिबंधित कर सकती है।

चिंताओं का समाधान -

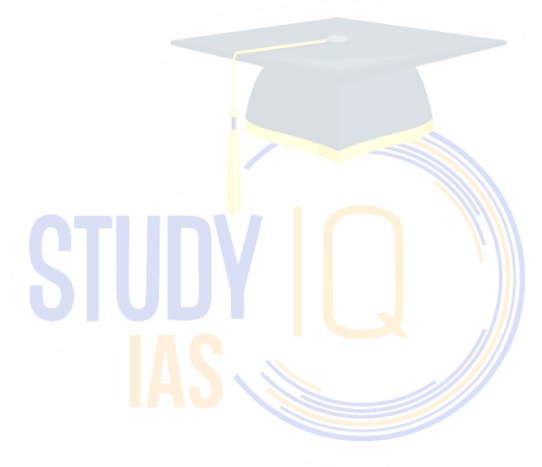
- RMGs से जुड़ी वित्तीय बर्बादी, नशे की लत और आत्महत्या के बढ़ते मामले।
- मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गेमिंग प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग (उदाहरण के लिए, ई-नगेट्स घोटाले जैसे ईडी मामले)।

- शोषणकारी प्रथाओं से नाबालिगों की सुरक्षा।

न्यायिक और संवैधानिक दृष्टिकोण -

- राज्य सूची की प्रविष्टियाँ 34 और 62: "सट्टेबाजी और जुआ" राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
- यह विधेयक राज्यों की शक्तियों के साथ टकराव से बचने के लिए वैध ऑनलाइन खेलों को जुए से अलग करने का प्रयास करता है।
- अनुच्छेद-19(1)(g): उचित प्रतिबंधों के अधीन व्यापार करने के अधिकार की गारंटी देता है।
- न्यायिक मिसालें:
 - डॉ. के.आर. लक्ष्मणन बनाम तमिलनाडु राज्य (1996): कौशल के खेल को जुए से अलग किया गया।
 - विभिन्न उच्च न्यायालयों ने निर्णय दिया है कि फैंटेसी खेल मुख्यतः कौशल आधारित होते हैं, जुआ आधारित नहीं।

स्रोत: [द हिंदू](#)



केंद्रीय सूचना आयोग(Central Information Commission-CIC)

संदर्भ

दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्र डेटा की गोपनीयता का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1978 के दिल्ली विश्वविद्यालय के डिग्री रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति देने वाले CIC के 2016 के आदेश को रद्द कर दिया।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के बारे में -

- **स्थापना:** सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत गठित।
- **प्रकृति:** यह एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली में स्थित है।
- **संरचना:** इसमें मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त शामिल हैं।
- **नियुक्ति:** एक समिति (प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री) की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- **कार्यकाल:** आयुक्त 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो (2019 संशोधन के अनुसार) पद पर बने रहते हैं।
- **कार्य:** RTI के तहत अपील और शिकायतों की सुनवाई करना, सार्वजनिक प्राधिकरणों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- **शक्तियां:** सिविल न्यायालय के समतुल्य - दस्तावेज तलब कर सकती है, जांच का आदेश दे सकती है, तथा सूचना उपलब्ध न कराने पर अधिकारियों पर जुर्माना लगा सकती है।
- **सीमाएं:** दंड से परे अनुपालन को लागू नहीं किया जा सकता; मामलों के लंबित रहने के कारण कभी-कभी निर्णय में देरी होती है।

स्रोत: [द हिंदू](#)



मसौदा ऊर्जा संरक्षण (अनुपालन प्रवर्तन) नियम, 2025

संदर्भ

विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण (अनुपालन प्रवर्तन) नियम, 2025 का मसौदा जारी किया है।

ऊर्जा संरक्षण (अनुपालन प्रवर्तन) नियम, 2025 के प्रमुख प्रावधान -

- **BEE के लिए मजबूत प्रवर्तन शक्तियाँ:** ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) को उल्लंघनों का पता लगाने, सत्यापन करने और आकलन करने का अधिकार दिया गया है।
 - BEE राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (SERC) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारियों के समक्ष गैर-अनुपालन मामले प्रस्तुत कर सकता है।
- **ऊर्जा-गहन क्षेत्रों के लिए अनिवार्य अनुपालन:** सीमेंट, इस्पात, ऑटो और विनिर्माण जैसे उद्योगों को सख्त ऊर्जा-बचत मानदंडों का पालन करना होगा।
 - **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001** के अंतर्गत नामित उपभोक्ताओं, निर्माताओं और आयातकों पर लागू होता है।
- **स्वैच्छिक से लागू दक्षता तक:**
 - पहले → कंपनियाँ अधिकतर ऊर्जा उपयोग की रिपोर्ट स्वयं ही करती थीं।
 - अब → निरीक्षण और ऑडिट के माध्यम से अनुपालन की जांच और प्रवर्तन किया जाएगा।
- **गैर-अनुपालन के लिए दंड:** उल्लंघन के लिए ₹10 लाख तक का जुर्माना।
 - जुर्माने की राशि केन्द्रीय ऊर्जा संरक्षण कोष में जमा की जाएगी, जिसमें 90% हिस्सा राज्यों का होगा।
- **अधिकार क्षेत्र स्पष्टीकरण:** राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERC) स्थापना स्थान के आधार पर प्रवर्तन का कार्य संभालेगा → स्पष्ट कानूनी प्राधिकार सुनिश्चित करेगा।
- **जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखण:** प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना, कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE) मानदंड और ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ECBC) का समर्थन करता है।
 - यह 2070 तक भारत के नेट जीरो और पेरिस समझौते के तहत एनडीसी लक्ष्यों के अनुरूप है।

BEE क्या है? (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो) -

- **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत स्थापित।**
- भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- **कार्य:**
 - विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देना।
 - ऊर्जा दक्षता मानक और लेबलिंग विकसित करना (जैसे, उपकरणों की स्टार रेटिंग)।
 - PAT (प्रदर्शन, उपलब्धि, व्यापार), ECBC (ऊर्जा संरक्षण भवन कोड) और मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम जैसी योजनाओं का प्रशासन करना।

स्रोत: [द बिजनेसलाइन](https://www.bijnesala.in)

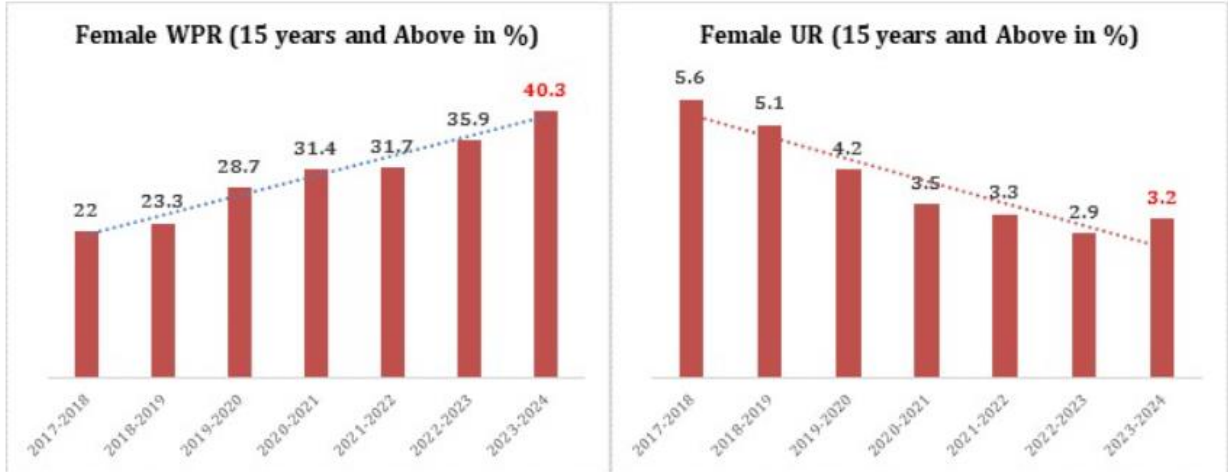
संपादकीय सारांश

भारत में महिला कार्यबल भागीदारी: आंकड़े

संदर्भ

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में महिला कार्यबल भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

वर्तमान स्थिति: PLFS डेटा -



- **कार्यबल भागीदारी दर (WPR):** महिलाओं की WPR 2017-18 में 22% से बढ़कर 2023-24 में 40.3% हो गई।
- **बेरोजगारी दर (UR):** 5.6% (2017-18) से घटकर 3.2% (2023-24) हो गई।
- **ग्रामीण बनाम शहरी:** ग्रामीण क्षेत्रों में महिला रोजगार में 96% और शहरी क्षेत्रों में 43% की वृद्धि हुई।
- **शिक्षित महिला कार्यबल:** महिला स्नातकों की रोजगार क्षमता 42% (2013) से 47.5% (2024) तक।
 - स्नातकोत्तरों की WPR 34.5% (2017-18) से बढ़कर 40% (2023-24) हो गई।
- **उद्यमशीलता विकास:** महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई की हिस्सेदारी 17.4% (2010-11) से बढ़कर 26.2% (2023-24) हो गई, जिससे 89 लाख नौकरियां पैदा हुईं (वित्त वर्ष 21-23)।

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकारी पहल -

योजना / पहल	फोकस क्षेत्र	महिलाओं पर प्रभाव
दीनदयाल अंत्योदय योजना: NRLM	ग्रामीण आजीविका, स्वयं सहायता समूह	87 लाख से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह बनाए गए, जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा दिया गया
कौशल भारत मिशन	कौशल विकास	नए क्षेत्रों (आईटी, स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण) में महिलाओं के लिए नौकरी के लिए तैयार कौशल
नमो ड्रोन दीदी	कृषि में प्रौद्योगिकी	महिलाओं को कृषि सेवाओं के लिए ड्रोन का उपयोग करने का प्रशिक्षण देना, ग्रामीण आय में वृद्धि करना
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना	सूक्ष्म वित्त और ऋण	68% ऋण महिलाओं को स्वीकृत किए गए; लघु उद्योगों को सहायता प्रदान की गई

स्टैंड-अप इंडिया	उद्यमशीलता ऋण	महिलाओं (और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के लिए बैंक ऋण, व्यवसाय स्वामित्व को बढ़ावा देना
पीएम स्वनिधि	स्ट्रीट वेंडरों का समर्थन	44% लाभार्थी महिलाएं हैं; कार्यशील पूंजी ऋण तक पहुंच
स्टार्टअप इंडिया	नवाचार और स्टार्टअप	लगभग 50% पंजीकृत स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक हैं
EPFO पेरोल विस्तार	औपचारिक क्षेत्र की नौकरियां	पिछले 7 वर्षों में 1.56 करोड़ महिलाएं औपचारिक कार्यबल में शामिल हुईं
ई-श्रम पोर्टल	असंगठित क्षेत्र के श्रमिक	16 करोड़ से अधिक महिलाएं पंजीकृत; सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच संभव
मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017	कार्यस्थल समर्थन	सवेतन अवकाश को 26 सप्ताह तक बढ़ाया गया; बेहतर कार्य-जीवन संतुलन
जेंडर बजट	संसाधनों का आवंटन	↑ पिछले दशक में 429%; वित्त वर्ष 2025-26 में ₹4.49 लाख करोड़ आवंटित
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ	शिक्षा और जागरूकता	स्कूलों में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि, भावी कार्यबल का सशक्तीकरण

महिला कार्यबल में बढ़ती भागीदारी का महत्व -

- **आर्थिक विकास एवं उत्पादकता:** महिलाओं की अधिक भागीदारी से भारत के श्रम पूल का विस्तार होगा, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी।
 - समान भागीदारी से भारत की जीडीपी में लगभग 27% की वृद्धि हो सकती है (विश्व बैंक)।
- **सामाजिक सशक्तिकरण:** महिलाओं की कमाई से परिवार के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार होता है।
 - घरों और समाज में महिलाओं की आवाज और निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाता है।
- **लैंगिक समानता और समावेशिता:** यह महिलाओं को लाभार्थी से विकास के संचालक के रूप में परिवर्तित करने का प्रतीक है।
 - स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स और एमएसएमई में प्रतिनिधित्व बढ़ाने से लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने में मदद मिलती है।
- **राष्ट्रीय विकास लक्ष्य:** बढ़ती भागीदारी से विकसित भारत 2047 (70% महिला कार्यबल भागीदारी) की ओर भारत की प्रगति को बल मिलेगा।
 - सतत विकास लक्ष्यों (SDG-5: लैंगिक समानता और SDG-8: सभ्य कार्य और विकास) को प्राप्त करने में सीधे योगदान देता है।

स्रोत: [पीआईबी](#)

भारत में पर्यटन क्षेत्र

संदर्भ

भारतीय निर्यात पर शुल्क बढ़ाने का अमेरिकी फैसला सीमित व्यापार साझेदारों पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिमों को उजागर करता है। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लानी होगी, और पर्यटन एक सशक्त विकल्प प्रदान करता है।

भारत में पर्यटन क्षेत्र का विकास और महत्व -

- **आर्थिक योगदान:** सकल घरेलू उत्पाद में ~5% का योगदान (वित्त वर्ष 23)।
- **रोजगार सृजन:** अत्यधिक श्रम-प्रधान (वित्त वर्ष 23 में 7.6 करोड़ नौकरियां सृजित); क्षेत्रीय विस्तार के साथ 40 मिलियन नौकरियां सृजित हो सकती हैं।
- **विदेशी मुद्रा आय:** 2024 में 28 बिलियन डॉलर अर्जित; 130-140 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की संभावना।
- **वैश्विक रैंकिंग:** विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा प्रकाशित **यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक (TTDI)** 2024 रिपोर्ट में, **भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है (2021 में 54वें/117वें स्थान पर था)**
- **संतुलित विकास:** शहरी उच्च-कुशल नौकरियों और ग्रामीण आजीविका (परिवहन, हस्तशिल्प, कल्याण) दोनों का समर्थन करता है।
- **सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी:** वैश्विक स्तर पर भारत की संस्कृति, विरासत, आयुर्वेद और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना।
- **हरित विकास चालक:** सतत पर्यटन सामुदायिक लाभ के साथ कम कार्बन विकास को बढ़ावा देता है।

भारत में पर्यटन के समक्ष चुनौतियाँ -

- **कम जीडीपी योगदान:** जीडीपी का केवल 5% (वैश्विक औसत 10% की तुलना में), वैश्विक और समकक्ष देशों के औसत से कम।
- **बुनियादी ढांचे की कमी:** दूरदराज के क्षेत्रों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर की सुविधाओं की कमी पर्यटन विकास को सीमित करती है।
 - उदाहरण के लिए, भारत में केवल 1.8 लाख ब्रांडेड होटल कमरे हैं, जबकि मांग 5-6 लाख है।
- **यात्रा में आसानी संबंधी समस्याएं:** वीजा में देरी, लंबी आव्रजन कतारें, खराब कनेक्टिविटी।
- **खंडित प्रचार:** कमजोर वैश्विक ब्रांडिंग, डिजिटल सामग्री/प्रभावक विपणन का कम उपयोग।
 - उदाहरण के लिए, 2022 में भारत में 6.19 मिलियन विदेशी पर्यटक आए, जो थाईलैंड (11 मिलियन) और स्पेन (71 मिलियन) से काफी कम है।
- **निवेश बाधाएं:** सीमित निजी निवेश; सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) क्षमता का दोहन नहीं हुआ।
- **स्थिरता संबंधी चिंताएं:** अति-पर्यटन, अपशिष्ट प्रबंधन, तथा नाजुक क्षेत्रों में पारिस्थितिक तनाव।

सरकारी पहल

पहल	फोकस क्षेत्र	मुख्य विशेषताएं / प्रभाव
स्वदेश दर्शन योजना	थीम-आधारित पर्यटन सर्किट	13 सर्किटों के लिए बुनियादी ढांचा - विरासत, पर्यावरण, आध्यात्मिक, तटीय, आदि।
पूर्वोत्तर पर्यटन सर्किट	क्षेत्रीय पर्यटन	स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1,200 करोड़ रुपये आवंटित।
प्रसाद योजना	तीर्थयात्रा और आध्यात्मिक पर्यटन	प्रमुख धार्मिक स्थलों पर आधुनिक सुविधाएं; आध्यात्मिक एवं विरासत पर्यटन को बढ़ावा।

स्वच्छ भारत अभियान	पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता	स्मारकों और स्थलों पर स्वच्छता, सफाई और आगंतुक अनुभव में सुधार करता है।
अखिल भारतीय पर्यटक परमिट नियम (2021)	यात्रा में आसानी	पूरे भारत में पर्यटक वाहन परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन।
देखो अपना देश	घरेलू पर्यटन	भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधता को बढ़ावा देने वाले वेबिनार और अभियान।
स्वदेश दर्शन 2.0 (2023)	स्थायी पर्यटन	जिम्मेदार और टिकाऊ गंतव्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए योजना को नया रूप दिया गया।
युद्धक्षेत्र पर्यटन संवर्धन	सांस्कृतिक और साहसिक पर्यटन	भारत रणभूमि दर्शन ऐप भारत की सैन्य विरासत, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है।
विषयगत पर्यटन संवर्धन	विविध पेशकशें	वैश्विक स्तर पर कल्याण, पाककला, पर्यावरण-पर्यटन और विशिष्ट क्षेत्रों को बढ़ावा देता है।
ई-वीजा सुविधा	अंतर्राष्ट्रीय आगमन	171 देशों तक विस्तार; पर्यटकों के लिए प्रवेश आसान।
जीएसटी में कमी	सामर्थ्य और प्रतिस्पर्धात्मकता	जीएसटी में कमी के माध्यम से होटल शुल्क में कमी।
आरसीएस-उड़ान योजना	क्षेत्रीय संपर्क	कम सुविधा वाले गंतव्यों तक किफायती हवाई यात्रा का विस्तार।
IITF प्रमाणन और NIDHI+	नवाचार और गुणवत्ता	पर्यटन स्टार्टअप्स को समर्थन, सेवा मानकों में सुधार।

आगे की राह -

- **गंतव्य विकास:** बुनियादी ढांचे, स्थिरता और ब्रांडिंग का सम्मिश्रण करते हुए 50 विश्व स्तरीय गंतव्यों का निर्माण करना।
- **यात्रा सुविधा:** ई-वीजा को सरल बनाना, हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण करना और एयरलाइन कनेक्टिविटी का विस्तार करना।
- **डिजिटल प्रमोशन:** रणनीतिक कहानी कहने के लिए एआई, प्रभावशाली व्यक्तियों और वैश्विक प्लेटफार्मों का उपयोग करना।
- **निवेश को बढ़ावा:** बुनियादी ढांचे की सूची में अधिक पर्यटन परियोजनाओं को शामिल करना; होटल, रोपवे, सुविधाओं में पीपीपी को प्रोत्साहित करना।
- **घरेलू पर्यटन को बढ़ावा:** देखो अपना देश अभियान का विस्तार; अंतर-राज्यीय यात्रा को सस्ता बनाना।
- **सतत पर्यटन:** स्थानीय पारिस्थितिकी की रक्षा करते हुए स्वास्थ्य, पर्यावरण-पर्यटन और चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देना।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)